न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 07 / 2023

श्री विक्रमसिंह मीना, RZ –E-65 Dabri Extension,New Delhi 110045

........अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी(न्याय अनुभाग)कलैक्ट्रेट,भरतपुर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 20.02.2023**

अपीलार्थी श्री विक्रमसिंह मीना, RZ –E-65 Dabri Extension,New Delhi 110045 की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी,न्याय अनुभाग कलेक्ट्रेट भरतपुर के खिलाफ अपील प्राप्त हुई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक / कोर्ट / 23 / 134 दिनांक 9.2.23 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी, न्याय अनुभाग कलेक्ट्रेट भरतपुर से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी,न्याय अनुभाग कलेक्ट्रेट भरतपुर से प्राप्त जबाब पत्र क्रमांक / न्याय / सू0अधि0 / 2022 / 210 दिनांक 17.2.2023 शामिल पत्रावली किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र एवं अपील का अवलोकन किया गया, अपीलान्ट ने अपनी अपील में कथन किया है कि उसे प्रार्थना पत्र की बिन्दू संख्या 2 व 3 की सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र की बिन्दू संख्या 2 व 3 की सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी, न्याय अनुभाग कलेक्ट्रेट भरतपुर से प्राप्त जबाब का अवलोकन किया गया, लोक सूचना अधिकारी ने अपने जबाब में अंकित किया है कि आवेदक को कार्यालय के पत्र न्याय / सू0अधि0 / 2022 / 916 दिनांक 15.2.2023 के द्वारा जबाब भिजवाया जा चुका है, लोक सूचना अधिकारी ने पूर्व में भेजी गई सूचना की फोटो प्रति भी सलंग्न की है। लोक सूचना अधिकारी के जबाब से जाहिर

......2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०)

अपील / आरटीआई / 07 / 2023
विक्रमसिंह बनाम प्रभारी अधिकारी न्याय

आया कि कार्यालय में उपलब्ध सूचना प्रार्थी/अपीलार्थी को उपलब्ध करादी गई हैं, यानि उनके स्तर पर कोई सूचना लम्बित नहीं है, यदि फिर भी अपीलान्ट को यह लगता है कि कार्यालय में चाही गई सूचना उपलब्ध है तो अपीलान्ट से यह अपेक्षा की जाती है कि वे चाही गई सूचना सम्बन्धित रिकार्ड का अवलोकन कर सूचना चिन्हित करें ताकि उसे लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध कराई जा सके। लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे अपीलान्ट द्वारा चिन्हित सूचना निशुल्क उपलब्ध करादें। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त पत्रादि की फोटो प्रति सलंग्न कर) प्रेषित की जावे। निणर्य की प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की जाती है। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग,जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,भरतपुर
भरतपुर